सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.

* * *

दिनांक : 11 दिसम्बर,2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में पेंशन इत्यादि को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन करने हेतु इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 द्वारा आदेश जारी किए गए थे । इस कार्यालय ज्ञापन में कतिपय प्रावधानों पर कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए)भाग-II दिनांक 3.10.2008 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे । इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार 2.9.2008 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी ही कुल परिलब्धियों अर्थात् अंतिम आहरित वेतन अथवा औसत परिलब्धियों, इनमें से जो सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायी हो, के 50 प्रतिशत पर पेंशन की गणना के पात्र हैं ।

2. इस संबंध में इस विभाग में कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इस मामले की समीक्षा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से की गई है । अब यह निर्णय लिया गया है कि कुल परिलब्धियों के 50 प्रतिशत (अंतिम आहरित वेतन) अथवा पिछले 10 महीनों में प्राप्त औसत परिलब्धियां, इनमें से जो भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए लाभदायी हो, के 50 प्रतिशत पर पेंशन के भुगतान का प्रावधान 1.1.2006 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा । तथापि, वे ही सरकारी कर्मचारी जो 1.1.2006 से 1.9.2008 के बीच 33 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे और जो 1.1.2006 से 1.9.2008 के बीच 33 वर्ष से कम की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन उनकी वास्तविक सेवा पर आधारित पूर्ण पेंशन के अनुपात में जारी रहेगी ।

3. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके आई.सी.यू.ओ. सं. 4.2/22/ 2008-आई.सी. दिनांक 8.12.2008 द्वारा जारी किया जाता है ।

(एम. पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी)
टेलीफैक्स सं. 24624802

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. स्टैंडर्ड डाक-सूची के अनुसार ।